मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७०

(क्रमांक ५ सन् १९७१)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक १ फरवरी १९७१ में प्रकाशित

म. प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक १ फरवरी १६७१

क्र. ३०८६-इक्कीस-अ(प्रा.).–मध्यप्रदेश विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर दिनांक ३० जनवरी १६७१ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री. हरि. पगारे, सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् १६७१

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १६७०

विषय-सूची

धारा –

१. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार.
२. परिभाषाएं.
३. बोर्ड का निगमन.
४. बोर्ड का गठन.
५. निर्वाचन का ढंग.
६. सदस्यता के लिये अर्हताएं तथा निरर्हताएं.
७. बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि.
८. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा पदत्याग.
९. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव.
१०. सदस्य बने रहने के लिये निर्योग्यताएं.
११. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.
१२. बोर्ड का सम्मिलन.
१३. सम्मिलन का सभापति.
१४. प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत से किया जायगा.
१५. गणपूर्ति.
१६. कार्यवाहियों के कार्यवृत.
१७. रिक्ति कार्यवाहियों आदि को अविधिमान्य नहीं बनायेगी.
१८. सदस्यों के लिये भत्ते.
१९. बोर्ड की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य.
२०. बोर्ड का रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी और सेवक.
२१. रजिस्ट्रार के कर्तव्य.

धारायें:--

२२. बोर्ड–निधि.

२३. उद्देश्य, जिनके लिये बोर्ड-निधि उपयोजित की जा सकेगी.

२४. व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर.

२५. वह व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकरण फीस.

२६. अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण.

२७. बिरूजालयीन चिकित्सा अभ्यास के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण.

२८. उन व्यक्तियों से, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र हों या व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में दर्ज किये गये समझे जाते हों, भिन्न ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाये रखना जो कि व्यवसायरत हों.

२९. व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में या सूची में प्रविष्ट करने का प्रतिषेध करने या उसमें से प्रविष्टि हटाये जाने का निदेश देने की बोर्ड की शक्ति.

३०. सूची का पुनरीक्षण.

३१. जांचों में प्रक्रिया.

३२. बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.

३३. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के विशेषाधिकार.

३४. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न किये गये व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय आदि किये जाने का प्रतिषेध.

३५. शास्ति.

३६. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.

३७. अनुसूची का संशोधन.

३८. दस्तावेज पेश करने के लिए बोर्ड के सेवकों को समन करने पर निर्बन्धन.

३९. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का परित्राण.

४०. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिये सक्षम न्यायालय तथा अपराधों का संज्ञान.

४१. मृत्यु-समीक्षा का कार्य करने से छूट.

४२. नियम बनाने की शक्ति.

४३. विनियम बनाने की शक्ति.

४४. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन तथा व्यावृत्ति.

४५. अध्यादेश क्रमांक १४ सन् १९७० का निरसन.

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् १९७१

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७०

[दिनक ३० जनवरी १९७१ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक ३० जनवरी १९७१ को प्रथम वार प्रकाशित की गई]

ध्यप्रदेश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने, प्राकृतिक-चिकित्सा के व्यवसाय को विनियमित करने और राज्य के लिए आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक-चिकित्सा वोर्ड के गठन के लिए एवं उससे संबंधित विषयों के लिए उपवन्ध करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :–

पहला अध्याय--प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१. (१) यह अधिनियम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० कहा जा सकेगा.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

परिभाषाएं

२. इसका अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अनुमोदित संस्था" से अभिप्रेत है. चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य ऐसी संस्था जिसमें कोई व्यक्ति, उसे आयर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक–चिकित्सा से संबंधित कोई चिकित्सीय अर्हता प्रदान की जाने के पूर्व अपने अध्ययन-पाठ्यक्रम द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके,

(ख) "आयुर्वेदिक पद्धति" से अभिप्रेत है, अष्टांग आयुर्वेदिक पद्धति और उसके अन्तर्गत सिद्ध आता है, चाहे ऐसी आधुनिक प्रगतियां द्वारा, जैसी कि बोर्ड समय-समय पर अव–धारित करे, उसकी अनुपूर्ति की गई हो या न की गई हो,

(ग) "बोर्ड" से अभिप्रेत है धारा ३ तथा ४ के अधीन स्थापित तथा गठित किया गया मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति एवं प्राकृतिक–चिकित्सा बोर्ड,

(घ) "सूचीबद्ध व्यवसायी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यवसायी जिसका नाम धारा २८ के अधीन बनाए रखी गई सूची में प्रविष्ट हो;

(ङ) "प्राकृतिक-चिकित्सा" से अभिप्रेत है, प्राकृतिक–चिकित्सा पद्धति चाहे ऐसी आधुनिक प्रगतियों द्वारा, जैसी कि बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे, उसकी अनुपूर्ति की गई हो या न की गई हो;

(च) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, बोर्ड का अध्यक्ष;

(छ) "व्यवसायी" से अभिप्रेत है, आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा का व्यवसायी;

(ज) "मान्य अर्हता" से अभिप्रेत है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा–संबंधी अर्हता;

(झ) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है, व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में दर्ज किया गया या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दर्ज किया गया समझा गया कोई व्यक्ति;

(ञ) "विनियम" से अभिप्रेत है, धारा ४३ के अधीन बनाये गए विनियम,

(ट) "व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर" से अभिप्रेत है, धारा २४ के अधीन रखा गया रजिस्टर,

(ठ) "यूनानी पद्धति" से अभिप्रेत है, चिकित्सा की यूनानी तिब्बी पद्धति चाहे ऐसी आधुनिक प्रगतियों द्वारा, जैसी कि बोर्ड समय-समय पर अवधारित करे, उसकी अनुपूर्ति की गई हो या न की गई हो.

दूसरा अध्याय–मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक-चिकित्सा बोर्ड का निगमन तथा गठन.

बोर्ड का निगमन. ३. (१) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाय, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक–चिकित्सा बोर्ड की स्थापना करेगी.

(२) बोर्ड मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति

अर्जित करने तथा धारण करने की शक्ति प्राप्त होगी और उसे इस अधिनियम के अधीन किये गये उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारण की गई किसी भी सम्पत्ति का अंतरण करने तथा संविदा करने और उसके गठन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त अन्य कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी और वह उसके निगमित नाम से वाद चला सकेगा या उसके निगमित नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा.

बोर्ड का गठन. ४. (१) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

(क) आयुर्वेद का उपसंचालक;

(ख) आयुर्वेद का सहायक संचालक;

(ग) राज्य में के प्रत्येक राजस्व आयुक्त सम्भाग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया गया हो;

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी संभाग के सदस्य का निर्वाचन करने में असफल रहें, तो राज्य सरकार ऐसे संभाग से किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को उस रिक्त स्थान के लिये नाम निर्देशित करेगी और इस प्रकार नाम निर्देशित किया गया व्यक्ति इस खण्ड के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जायेगा :

परन्तु यह और भी कि प्रथम बोर्ड के गठन के लिए ऐसे सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायंगे;

(घ) कम से कम पांच तथा अधिक से अधिक दस सदस्य राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायंगे जिनमें से कम से कम-

(एक) एक सदस्य राज्य में के ऐसे सरकारी महाविद्यालयों के, जो अनन्यरूपेण आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा में शिक्षण दे रहे हों, अध्यापक वर्ग में से होगा;

(दो) एक सदस्य ऊपर उपखण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट किये गये महाविद्यालयों को छोड़कर राज्य में के ऐसे अन्य महाविद्यालयों के, जो अनन्यरूपेण आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा में शिक्षण दे रहे हों, अध्यापक वर्ग में से होगा;

(तीन) एक-एक सदस्य आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा–पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों में से होगा.

(२) बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, निर्वाचित किये जायंगे :

परन्तु प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायंगे.

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन निर्वाचित या नाम-निर्देशित किये गये प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा.

निर्वाचन का ढंग

५. (१) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन का संचालन, बोर्ड द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जायगा जो कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाये जायं.

(२) जहां बोर्ड के लिये किसी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उद्‌भूत हो, वहां वह ऐसी कालावधि के भीतर जो कि विहित की जाय, सरकार को निर्देशित किया जायगा तथा उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा.

सदस्यता के लिये अर्हताएं तथा निरर्हताएं

६. (१) कोई भी व्यक्ति धारा ४ के अधीन निर्वाचन या नाम–निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी न हो और राज्य के भीतर निवास न करता हो.

(२) कोई भी व्यक्ति बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नामनिर्देशित किये जाने के लिये निरर्हित होगा :–

(क) यदि वह भारत का नागरिक न हो;

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो; या

(ग) यदि वह विकृत चित का हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित कर दिया गया हो; या

(घ) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधों के लिए, जो छः मास से अधिक के कारावास से दण्डनीय हो, सिद्धदोष ठहराया गया हो तथा उस दण्ड को उसके पश्चात् न तो अपास्त किया गया हो और न उसका परिहार किया गया हो तथा ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार के आदेश द्वारा, ऐसे दण्ड के कारण हुई निरर्हता से विमुक्त नहीं कर दिया गया हो; या

(ङ) यदि वह बोर्ड का कर्मचारी हो तथा उसे वेतन या मानदेय के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता हो (जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत फीस तथा कमीशन नहीं आयेगा); या

(च) यदि उसका नाम व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में से निकाल दिया गया हो.

बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि

७. (१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की, जो धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचित किये गये हों या उक्त उपधारा के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्देशित किये हों, पदावधि उस तारीख से, जिसको कि नवीन बोर्ड का प्रथम सम्मिलन किया जाय, प्रारंभ होने वाली पांच साल की कालावधि के लिये होगी :

परन्तु प्रथम वार गठित किये गये बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि बोर्ड के प्रथम सम्मिलन की तारीख से तीन वर्ष होगी.

(२) उपाध्यक्ष की पदावधि उस तारीख से, जिसको कि वह उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाय, एक वर्ष की कालावधि के लिये होगी.

(३) उपधारा (१) या उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट की गई अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वहिर्गामी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी कि दशा हो, उसके उत्तराधिकारी या यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन होने तक पद पर बना रहेगा.

(४) बहिर्गामी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य यथास्थिति पुर्ननिर्वाचन या पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा.

अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्यों द्वारा पद त्याग.

८. अध्यक्ष, किसी भी समय, उपाध्यक्ष को संबोधित किये गये पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, किसी भी समय अध्यक्ष को संबोधित किये गये पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा किन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह बोर्ड द्वारा प्रतिग्रहीत न कर लिया जाय.

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

९. (१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, ऐसे बहुमत से, जो बोर्ड के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम न हो और ऐसा बहुमत तत्समय बोर्ड का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, बोर्ड द्वारा पारित किये गये संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसा संकल्प प्रस्तुत करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो.

(२) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिसके कि विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन प्रस्ताव पारित किया गया हो, पद धारण करने से तत्काल परि–विरत हो जायगा और अध्यक्ष को हटा दिये जानें की दशा में उपाध्यक्ष उस समय तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित न हो जाय.

सदस्य बने रहने के लिए निर्योग्यताएं.

१०. (१) यदि कोई सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, निर्वाचित या नाम निर्देशित हो जाने पर,–

(क) बाद में धारा ६ में वर्णित निरर्हताओं में से किसी भी निरर्हता का भागी हो जाय; या

(ख) विधि व्यवसायी होने के नाते, किसी विधिक कार्यवाही में चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, जिसमें कि बोर्ड सम्बद्ध हो या सम्बद्ध रहा हो, बोर्ड या राज्य सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करे या उपसंजात हो; या

(ग) बोर्ड के लगातार तीन मामूली सम्मिलनों में से ऐसे कारणों के बिना, जो बोर्ड की राय में पर्याप्त हो, अनुपस्थित रहे; तो बोर्ड उसका पद रिक्त घोषित कर देगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी घोषणा तब तक नहीं की जायगी जब तक कि संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(२) उपधारा (१) के अधीन बोर्ड द्वारा की गई किसी घोषणा से व्यथित कोई भी सदस्य ऐसी घोषणा की तारीख से ६० दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील फाइल कर सकेगा और ऐसी अपील में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा.

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

११. यदि बोर्ड के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह पद त्याग कर दे या वह किसी भी कारण से सदस्य न रहे, तो इस प्रकार हुई रिक्ति यथाशक्य शीघ्र यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायगी और इस प्रकार निर्वाचित या नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अनवसित अवधि तक पद धारण करेगा.

तीसरा अध्याय—काम काज का संचालन

बोर्ड का सम्मिलन

१२. बोर्ड एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय तथा स्थान पर सम्मिलन करेगा और बोर्ड का प्रत्येक सम्मिलन ऐसी रीति में समन किया जायगा, जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाय/ किया जाय :

परन्तु जब तक ऐसे विनियम न बनाये जायं, अध्यक्ष के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह, प्रत्येक सदस्य को संबोधित किये गये पत्र द्वारा पूरे, पन्द्रह दिन की सूचना पर ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा कि वह समीचीन समझे, बोर्ड का सम्मिलन समन करे.

सम्मिलन का सभापति.

१३. अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, बोर्ड के प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा तथा दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से एक को इस प्रयोजन के लिये निर्वाचित कर लेंगे :

परन्त धारा ६ के प्रयोजन के लिए किये गये सम्मिलन में ऐसा व्यक्ति, जो कि विहित प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्देशित किया जाय, अध्यक्षता करेगा.

प्रश्नों का विनिश्चय बहुमत से किया जायगा

१४. इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, बोर्ड के किसी भी सम्मिलन के समक्ष लाये गये समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा :

परन्तु बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी अपने निर्णयक मत का प्रयोग नहीं करेगा और परिणाम का विनिश्चय लाट द्वारा किया जायगा.

गणपूर्ति.

१५. किसी सम्मिलन में कोई भी कामकाज तब तक संपादित नहीं किया जायगा जब तक कि संपूर्ण सम्मिलन में साद्यन्त सात सदस्यों की गणपूर्ति न बनी रहे :

परन्तु स्थगित सम्मिलन का कामकाज निपटाया जा सकेगा चाहे गणपूर्ति हो या न हो.

१६. (१) बोर्ड के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्य-वृत्त उस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तक में अभिलिखित किये जायेंगे और उसी सम्मिलन में या ठीक आगामी सम्मिलन में, अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी द्वारा उन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. कार्यवाहियों के कार्यवृत्त

(२) बोर्ड के सम्मिलन की कार्यवाहियां गोपनीय होंगी और बोर्ड का कोई भी सदस्य, कार्यवाहियों के कार्यवृत्त में अभिलिखित किये किसी भी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी, जो कि सदस्य होने के नाते उसे ज्ञात हुई हो, बोर्ड के पूर्व अनुज्ञा के विना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वैध रूप से हकदार न हो, संसूचित नहीं करेगा या उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को उक्त जानकारी संसूचित की जाने की अनुज्ञा नहीं देगा.

१७. बोर्ड का कोई भी कार्य केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि– रिक्ति कार्यवाहियों आदि को अविधिमान्य नहीं बनायेगी

(क) बोर्ड में कोई स्थान रिक्त है या उसके (बोर्ड के) गठन में त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के निर्वाचन या नाम निर्देशन में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती.

१८. (१) बोर्ड के सदस्य ऐसे यात्रा तथा अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे कि विहित किये जायें. सदस्यों के लिये भत्ते.

(२) कोई भी सदस्य उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट किये गये संदाय से भिन्न किसी संदाय का हकदार नहीं होगा.

चौथा अध्याय–बोर्ड की शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य

१९. (१) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे. बोर्ड की शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य,

(२) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) क्रमशः धारा २४ तथा २८ के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर तथा व्यवसायियों की सूची बनाये रखना;

(ख) रजिस्ट्रार के किसी भी विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों की ऐसी रीति में, जैसी कि विहीत की जाय, सुनवाई करना तथा उनको विनिश्चित करना;

(ग) रजिस्ट्रीकृत तथा सूचीबद्ध व्यवसायियों के वृत्तिक आचरणों को विनियमित करने के लिये नैतिक आचार संहिता विहित करना;

(घ) किसी रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध व्यवसायी की भर्त्सना करना, या यथास्थिति व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में से या सूची में से उसे निलम्बित कर देना या हटा देना या उसके विरुद्ध ऐसी अन्य आनुशासिक कार्यवाही करना जैसी कि बोर्ड की राय में आवश्यक या समीचीन हो.

पांचवां अध्याय–रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी

बोर्ड का रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी और सेवक

२०. (१) बोर्ड एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा जो कि बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा.

(२) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों को नियोजित कर सकेगा जिन्हें कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे.

(३) रजिस्ट्रार की अर्हताएं, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें एवं वेतनमान ऐसे होंगे जैसे कि विहित किये जायं और अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें एवं वेतनमान ऐसे होंगे जैसे कि बोर्ड राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, विनियमों द्वारा अवधारित करें.

(४) बोर्ड रजिस्ट्रार से या किसी अन्य अधिकारी से उसके कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन के लिये ऐसी प्रतिभूति अपेक्षित करेगा तथा लगा जैसी कि बोर्ड आवश्यक समझे.

(५) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (क्रमांक ४५ सन् १८६०) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोकसेवक समझा जायगा.

रजिस्ट्रार के कर्त्तव्य.

२१ (१) रजिस्ट्रार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर रखे और समय-समय पर उसे विहित रीति में पुनरीक्षित करे और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें जिसका कि इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किया जाना अपेक्षित हो या अपेक्षित हो जाय.

(२) रजिस्ट्रार इस बात का ध्यान रखेगा कि व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर समस्त समयों पर यथा संभव ठीक रहता है और वह किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के पते या अर्हताओं से संबंधित कोई सारवान् परिवर्तन समय-समय पर उसमें प्रविष्ट कर सकेगा.

(३) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का, जिसकी मृत्यु हो जाय या जिसका नाम धारा २९ के अधीन रजिस्टर में से हटा दिया जाने का निदेश दिया जाय, नाम रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में से हटा दिया जायगा.

(४) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, रजिस्ट्रार किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में उसके नाम के सामने प्रविष्ट पते पर रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा पत्र भेज सकेगा जिसमें यह पूछ-ताछ की जायगी कि क्या उसने व्यवसाय करना बन्द कर दिया है या अपना पता बदल दिया है, और यदि उस पत्र की प्राप्ति के छः मास के भीतर रजिस्ट्रार को उक्त पत्र का कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो रजिस्ट्रार व्यवसायी का नाम रजिस्टर में से हटा देगा और नाम के हटाये जाने संबंधी तथ्य को ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा जैसी कि विहित की जाय :

परन्तु बोर्ड यदि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त व्यवसायी ने व्यवसाय करना बन्द नहीं किया है, उक्त व्यवसायी का आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने पर यह निदेश दे सकेगा कि उसका नाम रजिस्टर में पुनः स्थापित किया जाय.

छठवां अध्याय--बोर्ड की निधि

बोर्ड निधि

२२. (१) बोर्ड एक निधि स्थापित करेगा जो बोर्ड-निधि कहलायेगी.

(२) निम्नलिखित बोर्ड-निधि के भाग बनेंगे या उनका उसमें संदाय किया जायगा.

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा कोई अभिदाय या अनुदान;

(ख) फीस तथा जुर्मानों से हुई आय को सम्मिलित करते हुए बोर्ड की समस्त स्त्रोतों से आय;

(ग) न्यास, वसीयत (बिक्वेस्ट), संदान, विन्यास तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो;

(घ) बोर्ड द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशियां.

उद्देश्य, जिन के लिये बोर्ड-निधि उपयोजित की जा सकेगी.

२३. बोर्ड-निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये उपयोज्य होगी :-

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के प्रयोजनों के लिये बोर्ड द्वारा उपगत किये गये ऋणों के प्रति संदाय के लिये;

(ख) किसी वाद या कार्यवाही के, जिसमें बोर्ड एक पक्षकार हो, व्ययों के लिये;

(ग) बोर्ड के अधिकारियों तथा सेवकों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिये;

(घ) बोर्ड के पदाधिकारियों (आफिस बिअरर्स) को भत्तों के संदाय के लिये;

(ङ) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये बोर्ड द्वारा उपगत किये गये किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिये;

(च) चिकित्सा सम्बन्धी, शिक्षा गवेषणा तथा प्रशिक्षण की उन्नति और विकास, जिनका कि बोर्ड द्वारा चिकित्सा वृद्धि के सामान्य हित में होना घोषित किया गया हो, के हेतु उपगत किये गये किन्हीं अन्य व्ययों के लिये;

सातवां अध्याय—व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण

व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर.

२४. (१) बोर्ड मध्यप्रदेश के निवासी व्यवसायियों का रजिस्टर, जो व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर के नाम से ज्ञात होगा, विहित रीति में रखवायगा.

(२) व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि विहित किया जाय और उसमें प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम, पता तथा अर्हताएं, उस तारीख के साथ, जिसको कि ऐसी अर्हताएं अर्जित की गई थीं, अन्तर्विष्ट होंगी.

(३) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ सन् १८७२) के अर्थ के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जायगा.

वह व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकरण फीस.

२५. (१) मान्य अर्हता रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रार को ऐसी अर्हता का सबूत देने पर तथा बीस रुपये से अनधिक ऐसी फीस, जैसी कि विहित की जाय, चुका देने पर व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाने के लिये पात्र होगा.

(२) व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट करवाने के लिये आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोर्ड का यह समाधान करेगा कि वह कोई ऐसी अर्हताएं रखता है जो कि उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दावा करने के लिये हकदार बनाती है और वह रजिस्ट्रार को उस तारीख की जानकारी देगा जिसको कि उसने ऐसी अर्हता अभिप्राप्त की हो और वह ऐसी अन्य जानकारी देगा जैसी कि रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन उसके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के हेतु उसे समर्थ बनाने के लिये अपेक्षित करे.

अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण.

२६. यदि कोई व्यक्ति, जिनका नाम व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट किया जा चुका हो, आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा में कोई उपाधि, उपाधि-पत्र या अन्य अर्हता अभिप्राप्त करले, तो वह विहित रीति में इस सम्बंध में आवेदन करने पर तथा पांच रुपये फीस चुकाने पर, व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में अपने नाम के सामने या तो पूर्व में की गई किसी प्रविष्टि के स्थान पर या उसके अतिरिक्त, किसी प्रविष्टि कराने का हकदार होगा जिसमें कि ऐसी अन्य उपाधि, उपाधि-पत्र या अन्य अर्हता का वर्णन हो.

[illegible] चिकित्सा अभ्यास के लिये अस्थायी रजिस्ट्रीकरण.

२७. यदि किसी मान्य अर्हता को अभिप्राप्त करने के लिये पूरा किया जाने वाले अध्ययन-पाठ्यक्रम में, किसी व्यक्ति द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की जाने के पश्चात् तथा उसको ऐसी अर्हता प्रदान की जाने के पूर्व प्रशिक्षण की कोई कालावधि सम्मिलित हो, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति का, उसके द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदन किया जाने पर, व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकरण किया जायगा जिससे कि वह किसी अनुमोदित संस्था में पूर्वोक्त प्रशिक्षण-कालावधि तक चिकित्सा का अभ्यास कर सके.

उन व्यक्तियों से, जो रजिस्ट्रीकरण के लिये पात्र हों या व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में दर्ज किये गये समझे जाते हों, भिन्न ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाये रखना जो कि व्यवसायरत हों.

२८. (१) बोर्ड उन व्यक्तियों की सूची तैयार करवायेगा :—

(क) जो धारा ४४ के अधीन निरसित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत किये गये थे किन्तु कोई मान्य अर्हता न रखते हों; या

(ख) जो धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई तारीख (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में विनिर्दिष्ट तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) के अव्यवहित पूर्व, राज्य में पांच वर्ष से अन्यून काला-वधि तक आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा के क्षेत्र में नियमित चिकित्सा व्यवसाय करते रहे हों, और ऐसा व्यवसाय उनके

जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन रहा हो और जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये पात्र न हों या धारा ४४ की उपधारा (१) के खण्ड (ङ) के अधीन व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में दर्ज किये गये न समझे जाते हों.

(२) कोई भी व्यवसायी, जो उपधारा (१) के अधीन आता हो तथा उसमें निर्दिष्ट की गई सूची में अपना नाम समाविष्ट कराने की वांछा करता हो, विनिर्दिष्ट की गई तारीख से दो वर्ष भीतर रजिस्ट्रार को पचास रुपये से अनधिक ऐसी फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाय, विहित प्ररूप में आवेदन-पत्र भेजेगा :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से पूर्वोक्त कालावधि में छः मास से अनधिक और कालावधि तक की वृद्धि कर सकेगी.

(३) बोर्ड :–

(क) उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में, धारा ४४ के अधीन निरसित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में उनके रजिस्ट्रीकरण के तथ्य के बारे में;

(ख) उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में उक्त खण्ड में बतलाये गये अनुसार, राज्य में आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा के क्षेत्र में उनके द्वारा चिकित्सा व्यवसाय किये जाने के तथ्य के बारे में

जांच करने के पश्चात् और अपना यह समाधान कर लेने पर कि आवेदन उपधारा (१) के यथास्थिति खण्ड (क) या (ख) में उप-वर्णित अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, सूची में आवेदक का नाम समाविष्ट कर लेगा.

(४) वह व्यक्ति, जिसका नाम इस धारा के अधीन तैयार की गई सूची के अन्तर्गत आता हो, धारा ३३ की उपधारा

(२) में विनिर्दिष्ट किये गये रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के समस्त विशेषाधिकारों के लिये हकदार होगा.

(५) रजिस्ट्रार, उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का या ऐसी और कालावधि का, जैसी कि उसके अधीन बढ़ायी जाय, अवसान हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उपधारा (१) के अधीन तैयार की गई व्यक्तियों की सूची को राजपत्र में प्रकाशित करेगा तथा ऐसी सूची का प्रकाशन इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसमें सम्मिलित किया गया व्यक्ति उन विशेषाधिकारों के लिये पात्रता रखता है, जिनका कि वह उपधारा (४) के अधीन हकदार है.

व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में या सूची में प्रविष्टि करने का प्रतिषेध करने या उसमें से प्रविष्टि हटाये जाने का निर्देश देने की बोर्ड की शक्ति.

२६. (१) बोर्ड, रजिस्ट्रार से निर्देश प्राप्त होने पर या अन्यथा, व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में या धारा २८ के अधीन बनाये रखी गई सूची में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि करने का प्रतिषेध कर सकेगा या उक्त रजिस्टर में से या उक्त सूची में से किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाये जाने का आदेश दे सकेगा—

(क) जो किसी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये कारावास से दण्डादिष्ट किया जा चुका हो जो कि बोर्ड की राय में, उसके चरित्र में ऐसी त्रुटि उपदर्शित करता हो जिससे कि यथास्थिति रजिस्टर या सूची में उसके नाम का दर्ज किया जाना या उसके नाम का चालू रखा जाना अवांछनीय हो जाय; या

(ख) जिसे बोर्ड ने ऐसी जांच के पश्चात् जो बोर्ड के विवेकानुसार बन्द कमरे में की जा सकेगी, सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से वृत्तिक अवचार का अपराधी पाया हो;

(ग) जिसके सम्बन्ध में बोर्ड ने उसकी आपत्तियों के बारे में, यदि कोई हो जांच करने के पश्चात्, यह पाया हो कि उसने व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में कपटपूर्वक रजिस्ट्रीकरण करा लिया है या धारा

२८ के अधीन बनाये रखी गई सूची में कपटपूर्वक नाम दर्ज करा लिया है.

(२) बोर्ड किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी या किसी सूचीबद्ध व्यवसायी का नाम उपधारा (१) के अधीन यथास्थिति व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में से या सूची में से पूर्णतः या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये हटाये जाने का निर्देश दे सकेगा.

(३) बोर्ड यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (२) के अधीन हटाया गया कोई भी नाम ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें कि बोर्ड अधिरोपित करना उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए पुनः प्रविष्ट कर लिया जाय.

सूची का पुनरीक्षण

३०. बोर्ड धारा २८ के अधीन बनाये रखी गई सूची को ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाय, पुनरीक्षित करवायेगा.

जांचों में प्रक्रिया

३१. धारा २५, २८ तथा २९ के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए बोर्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १ सन् १८७२) के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझा जायगा तथा पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, १८५० (क्रमांक ३७ सन् १८५०) के अधीन नियुक्त किये गये आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, और ऐसी जांचें यथाशक्य, पब्लिक सर्वेन्ट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, १८५० (क्रमांक ३७, सन् १८५०) की धारा ५ तथा ८ से २० तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जायगी.

बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.

३२. (१) धारा २५, २८ तथा २९ के अधीन बोर्ड के प्रत्येक विनिश्चय के विरुद्ध अपील राज्य सरकार को प्रस्तुत होगी.

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक अपील सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा ऐसे विनिश्चय की प्रतिलिपि प्राप्त की जाने की तारीख से तीन मास के भीतर की जायगी.

रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के विशेषाधिकार.

३३. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्यप्रदेश के विधान मण्डल के समस्त अधिनियमों में और मध्यप्रदेश में लागू हुए रूप में समस्त केन्द्रीय अधिनियमों में, जहां तक कि ऐसे अधिनियम भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची २ या सूची ३ में विनिर्दिष्ट किये गये विषयों में से किसी भी विषय से सम्बन्धित हो, अभिव्यक्ति "वैध रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" या "सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी" के अन्तर्गत या किसी अन्य शब्द या अभिव्यक्ति, जिससे कि चिकित्सा

व्यवसायी के रूप में या चिकित्सा-वृत्ति के सदस्य के रूप में विधि द्वारा मान्य व्यक्ति का द्योतन होता हो, के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी आयेगा.

(२) मान्य अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय के बारे में इस अधिनियम में अधिकथित शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम, तत्समय, व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में हो, इस बात का हकदार होगा कि वह अपनी अर्हताओं के अनुसार राज्य के भीतर चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करे और ऐसे व्यवसाय के सम्बन्ध में औषधियों या अन्य साधित्रों के बारे में, कोई व्यय या प्रभार, या कोई फीस, जिनका कि वह हकदार हो, विधि के सम्यक् अनुक्रम में वसूल कर ले.

(३) कोई भी प्रमाण-पत्र, जिसका किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिया जाना किसी अधिनियम द्वारा अपेक्षित हो, उस दशा में विधिमान्य होगा जब कि ऐसा प्रमाण-पत्र किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा दिया गया हो.

(४) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, किसी भी ऐसे आयुर्वेदिक या यूनानी या प्राकृतिक-चिकित्सा औषधालय, चिकित्सालय, रुग्णालय या प्रसवालय में, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित हो या उससे (राज्य सरकार से) अनुदान प्राप्त कर रहा हो, चिकित्सा (फिजीशियन), शल्य चिकित्सक या अन्य चिकित्सा–अधिकारी के रूप में, किसी पद को धारण करने के लिए और किसी ऐसी लोक स्थापना, निकाय या संस्था में, जिसमें आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा द्वारा चिकित्सा की जाती हो, आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा के अनुसार रोगियों की चिकित्सा करने के लिए पात्र होगा.

आठवां अध्याय–साधारणतः चिकित्सा व्यवसायी

इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न किये गये व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय आदि किये जाने का प्रतिषेध.

३४. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी :–

(एक) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से या ऐसे व्यक्ति से, जिसका कि नाम धारा २८ के अधीन तैयार की गई सूची में प्रविष्ट हो, भिन्न हो चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा या प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर स्वयं को इस रूप में नहीं

जतलायेगा कि वह आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा का व्यवसाय करता है या उस व्यवसाय को करने के लिए सक्षम है;

(दो) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति—

(क) किसी भी जन्म या मृत्यु प्रमाण-पत्र को, जिसके कि सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि वह सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत किया जाय, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत नहीं करेगा; या

(ख) किसी भी चिकित्सीय या शारीरिक योग्यता के प्रमाण-पत्रों को, जिसके कि सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि यह सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत किया जाय, हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणीकृत नहीं करेगा; या

(ग) किसी मृत्यु-समीक्षा में या किसी विधि न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (क्रमांक १, सन् १८७२), की धारा ४५ के अधीन विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने के लिये अर्हित नहीं होगा.

३५. जो कोई जानबूझ कर या मिथ्या रूप से अपने नाम के साथ कोई ऐसी उपाधि या लक्षण धारण करेगा या उपयोग में लायेगा या अपने नाम के साथ कोई ऐसा अभिवर्णन धारण करेगा या उपयोग में लावेगा जिससे कि यह विवक्षित होता हो कि वह मान्य अर्हता धारण करता है या कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी है या कि उसका नाम धारा २८ के अधीन बनाये रखी गई सूची में प्रविष्ट है, अथवा धारा ३४ के उपबन्धों में उल्लंघन के कार्य करेगा, वह प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, शक्ति

नवां अध्याय–प्रकीर्ण

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.

३६. यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि बोर्ड ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में चूक की है या अतिरेक किया है या दुरुपयोग किया है या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसके प्रदत्त कर्त्तव्यों में से किसी भी कर्त्तव्य का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार, यदि वह ऐसी चूक, अतिरेक या दुरुपयोग को गंभीर स्वरूप का समझती है, बोर्ड को उसकी विशिष्टियां अधिसूचित करेगी और यदि बोर्ड ऐसे समय के भीतर जिसे कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नियत करे, ऐसी चूक, अतिरेक या दुरुपयोग का उपचार करने में असफल रहे, तो राज्य सरकार बोर्ड को विघटित कर सकेगी और बोर्ड की समस्त या किन्हीं भी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का ऐसे व्यक्तियों द्वारा तथा दो वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए जिसे कि वह उचित समझे, प्रयोग तथा पालन करवा सकेगी तथा नवीन बोर्ड अस्तित्व में लाने के लिए अग्रसर होगी.

अनुसूची का संशोधन

३७. भारत का कोई भी विश्वविद्यालय, जो आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा में ऐसी चिकित्सीय अर्हता प्रदान करता हो जो अनुसूची के अन्तर्गत न आई हो, ऐसी अर्हता को मान्य करवाने के लिए राज्य सरकार, को आवेदन कर सकेगा और राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि जिससे ऐसा अर्हता उसके (अनुसूची) के अन्तर्गत ले आई जाय और ऐसी किसी भी अधिसूचना द्वारा यह भी निर्देशित किया जा सकेगा कि ऐसी चिकित्सीय अर्हता उस दशा में मान्य अर्हता होगी जब कि वह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्रदान की गई हो.

दस्तावेज पेश करने के लिए बोर्ड के सेवकों को समन करने पर निर्बन्धन.

३८. बोर्ड के किसी भी सदस्य या अधिकारी या सेवक को किसी भी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें कि बोर्ड पक्षकार न हो, कोई रजिस्ट्रार या दस्तावेज पेश करने या उसमें अभिलिखित बातों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिए तब तक अपेक्षित नहीं किया जायगा जब तक कि न्यायालय विशेष कारणों से ऐसा निदेश न दे.

३६. किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए जो कि इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाये गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायगी.

इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का परित्राण.

४०. (१) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का न संज्ञान करेगा और न उसका विचारण करेगा.

(२) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सशक्त किए गये अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत पर ही करेगा अन्यथा नहीं.

इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय तथा अपराधों का संज्ञान.

४१. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को, यदि वह ऐसी वांछा करे, दंड प्रक्रिया संहिता, १८६८ (क्रमांक ५, सन् १८६८) के अधीन किसी मृत्यु-समीक्षा का कार्य करने से या जूरी सदस्य या असेसर के रूप में कार्य करने से छूट दी जायगी.

मृत्यु समीक्षा का कार्य करने से छूट.

दसवां अध्याय—नियम तथा विनियम

४२. (१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्याधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

(२) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित को विहित करते हुए नियम बना सकेगी :—

(क) वह रीति जिसमें धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित किये जायेंगे;

(ख) धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन निर्वाचन का ढंग;

(ग) वह कालावधि जिसके भीतर बोर्ड के लिए निर्वाचन से सम्बन्धित विवाद धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार को निर्देशित किया जायगा;

(घ) वे यात्रा तथा अन्य भत्ते जिनके कि लिये बोर्ड के सदस्य धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन हकदार होंगे;

(ङ) वह रीति जिसमें धारा १९ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अधीन अपील की सुनवाई की जायगी तथा उसका विनिश्चय किया जायगा;

(च) धारा २० की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रार की अर्हताएं, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें एवं वेतनमान;

(छ) वह रीति जिसमें व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर का धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा पुनरीक्षण किया जायगा;

(ज) वह रीति जिसमें किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में से हटाये जाने सम्बन्धी तथ्य धारा २१ की उपधारा (४) के अधीन प्रकाशित किया जायगा.

(झ) वह रीति जिसमें व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन बोर्ड द्वारा रखा जायगा;

(ञ) अर्हता का सबूत जिसके दिये जाने पर तथा फीस जिसके चुकाये जाने पर कोई व्यक्ति धारा २५ की उपधारा (१) के अधीन व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाने के लिए पात्र होगा;

(ट) वह रीति जिसमें आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा की कोई उपाधि उपाधि-पत्र या अन्य अर्हता व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट कराने के लिए धारा २६ के अधीन आवेदन किया जायगा;

(ठ) वह प्ररूप जिसमें तथा वह फीस जिसके साथ, किसी व्यवसायी का नाम व्यवसायरत व्यक्तियों की सूची में समाविष्ट कराने के लिए धारा २८ की उपधारा (२) के अधीन आवेदन किया जायगा; और

(ङ) वे अन्तराल जिन पर, व्यवसायरत व्यक्तियों की सूची धारा ३० के अधीन पुनरीक्षित की जायगी.

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

विनियम बनाने की शक्ति.

४३.—(१) बोर्ड साधारणत: इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए विनियम बना सकेगा.

(२) विशिष्टत: और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध हो सकेंगे –

(क) बोर्ड की सम्पत्ति का प्रवन्ध तथा उसके लेखाओं का बनाये रखा जाना और उनकी संपरीक्षा;

(ख) बोर्ड के सम्मिलन का समन किया जाना तथा किया जाना वह समय तथा स्थान जहां कि ऐसे सम्मिलन किये जाने हों, उनमें कामकाज का संचालन;

(ग) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(घ) समितियों की नियुक्ति का ढंग, सम्मिलनों का समन किया जाना तथा किया जाना और ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन;

(ङ) बोर्ड ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की, जो रजिस्ट्रार से भिन्न हो, पदावधि और उनकी शक्तियां तथा कर्त्तव्य एवं सेवा की अन्य शर्तें;

(च) ऐसे अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाने और कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का पालन किया जाने के लिए आवश्यक हो.

ग्यारहवां अध्याय–निरसन

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन तथा व्यावृत्ति.

४४. (१) धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचना में बोर्ड की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट की गई तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :–

(क) सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रेक्टिशनर्स एक्ट, १९४७ (क्रमांक ४, सन् १९४८), मध्यभारत देशी औषधि विधान, संवत् २००७ (क्रमांक २८, सन् १९५२) और मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९३५ (भोपाल एक्ट क्रमांक ७ सन् १९३५) जहां तक कि वह आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों से सम्बन्धित है निरस्त हो जायेंगे;

(ख) मध्यभारत देशी औषधि पर्षद (मध्यभारत इंडियन मेडीसिन बोर्ड) तथा महाकौशल बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, विघटित हो जायेंगे;

(ग) मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९३५ (भोपाल एक्ट क्रमांक ७ सन् १९३५) की धारा ३ के अधीन स्थापित मेडिकल काउन्सिल, उसके रजिस्टर पर के आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति के व्यवसायियों के सम्बन्ध में, अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगी;

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये बोर्डों की समस्त आस्तियां तथा दायित्व धारा ३ के अधीन स्थापित किये गये बोर्ड की आस्तियां तथा दायित्व होंगे और समझे जायेंगे;

(ङ) ऐसे समस्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जो खण्ड (क) के अधीन निरसित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम के या राजस्थान इंडियन मेडिसिन एक्ट, १९५३ (क्रमांक ५, सन् १९५३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये हों और जो धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई तारीख को राज्य में निवास करते हों तथा मान्य अर्हता रखते हों, व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के रूप में दर्ज किये गये समझे जायेंगे;

(च) वे समस्त कर्मचारी, जो पूर्वोक्त तारीख के अव्यवहित पूर्व खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये बोर्डों के हों या उनके नियंत्रण के अधीन हों, धारा ३ के अधीन स्थापित किये गये बोर्ड के कर्मचारी समझे जायेंगे :

परन्तु ऐसे कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, जब तक कि वे राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से बोर्ड द्वारा परिवर्तित न की जायं वही होंगी।

परन्तु यह भी कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई भी मंजूरी राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसके द्वारा प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो;

(छ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किये गये बोर्डों के समस्त अभिलेख तथा कागज-पत्र धारा ३ के अधीन स्थापित बोर्ड में निहित होंगे तथा उसे अन्तरित कर दिये जायेंगे.

(२) उपधारा (१) के खण्ड (क) में वर्णित अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, ऐसे समस्त व्यक्ति, जो धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई तारीख के अव्यवहित पूर्व सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रेक्टिशनर्स एक्ट, १९४७ (क्रमांक ४, सन् १९४८), की धारा २ के खण्ड (९) में यथा परिभाषित अर्हकारी परीक्षा के लिए विहित किये गये किसी अध्ययन पाठ्यक्रम का या मध्यभारत देशी औषधि विधान, संवत् २००७ (क्रमांक २८, सन् १९५२), की धारा ३२ के अधीन विहित किये गये किसी अध्ययन पाठ्यक्रम का अध्यय न कर रहे थे, उसका अध्ययन करने तथा उस परीक्षा में, जिसके लिए कि वे तैयारी कर रहे थे, बैठने के हकदार होंगे और उस प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी :—

(एक) धारा ३ के अधीन स्थापित किया गया बोर्ड, उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन विघटित किये गए बोर्डों की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उनके समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा, और

(दो) सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी प्रेक्टिशनर्स एक्ट, १९४७ (क्रमांक ४, सन् १९४८), की धारा २२ के अधीन प्राधिकृत या मध्यभारत देशी औषधि पर्षद् (मध्यभारत इंडियन मेडीसिन बोर्ड) से सम्बद्ध संस्थाएं, जब कि ऐसे व्यक्तियों का अंतिम बैच सामान्य अनुक्रम परीक्षा में बैठेगा तब तक तथा उसके पश्चात् एक वर्ष की कालावधि तक इस प्रकार कार्य करती रहेंगी

मानो कि उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किये गये हों तथा धारा ३ के अधीन स्थापित किया गया बोर्ड उक्त निरसित एक्टों के अधीन गठित किया गया बोर्ड हो.

४५. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी अध्यादेश, १९७० (क्रमांक १४, सन् १९७०) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. १४, सन् १९७० का निरसन.

अनुसूची

[धारा २ (ज) देखिये]

भाग क

आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा पद्धति तथा प्राकृतिक-चिकित्सा सम्बन्धी मान्य अर्हतायें जो इस राज्य में के विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई हों.

क्रमांक	विश्वविद्यालय या संस्था का नाम	मान्य अर्हताएं	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	सागर यूनिवर्सिटी, सागर	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
२.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
३.	रविशंकर यूनिवर्सिटी, रायपुर	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
४.	जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
५.	इन्दौर यूनिवर्सिटी, इन्दौर	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
६.	जबलपुर यूनिवर्सिटी, जबलपुर	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
७.	बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, मध्यभारत, ग्वालियर	आयुर्वेदिक विज्ञानाचार्य भिषगाचार्य.	ए. व्ही. एम. एस. भिषगाचार्य.
८.	महाकौशल बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जबलपुर.	लाइसेंशिएट आयुर्वेदिक प्रेक्टिशनर आयुर्वेदिक विज्ञानाचार्य	एल. ए. पी. ए. व्ही. एम. एस.
	आयुर्वेदिक कालेज, ग्वालियर	आयुर्वेदोपाध्याय वैद्यवर वैद्यशास्त्री	आयुर्वेदोपाध्याय वैद्यवर वैद्यशास्त्री

(१)	(२)	(३)	(४)
१७.	आल इंडिया आयुर्वेदिक विद्यापीठ, दिल्ली	आयुर्वेदाचार्य वैद्याचार्य वैद्य विशारद आयुर्वेदविशारद आयुर्वेदभिषक् प्रजावैद्य-परीक्षा	आयुर्वेदाचार्य वैद्याचार्य वैद्य विशारद आयुर्वेदविशारद आयुर्वेदभिषक् प्रजावैद्य-परीक्षा
१८.	वनवारीलाल आयुर्वेदिक कालेज, दिल्ली.	आयुर्वेदाचार्य भिषगाचार्य वैद्य विशारद	आयुर्वेदाचार्य भिषगाचार्य वैद्य विशारद
	गुजरात		
१९.	गुजरात यूनिवर्सिटी	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
२०.	फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडीसिन.	ग्रेजुएट ऑफ दी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन.	जी. एफ. ए. एम.
२१.	श्रावणमास दक्षिणा, वड़ौदा	आयुर्वेद-उत्तमा आयुर्वेद-मध्यमा	आयुर्वेद-उत्तमा आयुर्वेद-मध्यमा
	जम्मू एण्ड काश्मीर		
२२.	डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी. बैचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस. बी. यू. एम. एस.
	केरल		
२३.	केरल यूनिवर्सिटी	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडीसिन बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडीसिन	डी. ए. एम. बी. ए. एम.
२४.	गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कालेज, त्रावनकोर.	वैद्य-शास्त्री वैद्य-कलानिधि	वैद्य-शास्त्री वैद्य-कलानिधि

(१)	(२)	(३)	(४)
	महाराष्ट्र		
२५.	स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, महाराष्ट्र	ग्रेजुएट ऑफ दी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन.	जी. एफ. ए. एम.
२६.	फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडीसिन बाम्बे.	आयुर्वेद-विशारद	आयुर्वेद-विशारद
		मेम्बर ऑफ दी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन.	एम. एफ. ए. एम.
		ग्रेजुएट ऑफ दी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन.	जी. एफ. ए. एम.
		माहिरे-तिब्बो-जराहत	माहिरे-तिब्बो-जराहत.
२७.	नागपुर यूनिवर्सिटी	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
२८.	पूना यूनिवर्सिटी, पूना	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
२९.	आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदनगर	आयुर्वेद-तीर्थ	आयुर्वेद-तीर्थ
३०.	आर्यांगल वैद्यक महाविद्यालय, सतारा	आयुर्वेद-विशारद	आयुर्वेद-विशारद
३१.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना	आयुर्वेद-विशारद	आयुर्वेद-विशारद
३२.	विदर्भ आयुर्वेदिक कालेज, अमरावती	बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
३३.	गुरुदेव आयुर्वेदिक मंदिर मोझरी	आयुर्वेद-सेवा-पारंगत.	आयुर्वेद-सेवा-पारंगत.

(१)	(२)	(३)	(४)
	मैसूर		
३४.	बोर्ड ऑफ स्टडीज इन इंडियन-मेडीसिन, मैसूर.	ग्रेजुएट ऑफ दी कालेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन.	जी. सी. ए. एम.
		लाइसेन्शिएट इन आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	एल. ए. एम. एस.
	उड़ीसा		
३५.	फॅकल्टी ऑफ इंडियन मेडीसिन, उड़ीसा	बॅचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
३६.	आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन बोर्ड, उड़ीसा.	डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	डी. ए. एम. एस.
	पंजाब		
३७.	फॅकल्टी ऑफ इंडियन मेडीसिन, पंजाब	ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	जी. ए. एम. एस.
३८.	भूपेन्द्र तिब्बिया कालेज, पटियाला	हाजिक-उल-हुक्मा आयुर्वेदाचार्य	हाजिक-उल-हुक्मा आयुर्वेदाचार्य
	राजस्थान		
३९.	राजस्थान गवर्नमेन्ट एज्यूकेशन डिपार्टमेन्ट.	भिषग्वर	भिषग्वर
४०.	आयुर्वेदिक डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, राजस्थान.	भिषगाचार्य	भिषगाचार्य
४१.	महाराजा कालेज ऑफ आयुर्वेद, जयपुर	शास्त्री-आचार्य	शास्त्री-आचार्य
	तामिलनाडु		
४२.	मद्रास यूनिवर्सिटी	तबीब-कामिल	तबीब-कामिल

(१)	(२)	(३)	(४)
१०.	अष्टांग आयुर्वेदिक विद्यालय, उज्जैन	वैद्यवाचस्पति.	वैद्यवाचस्पति
११.	बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, भोपाल,	हकीम-कामिल	हकीम-कामिल

भाग ख

आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा-पद्धति तथा प्राकृतिक-चिकित्सा सम्बन्धी मान्य अर्हताएं जो इस राज्य/देश के बाहर के विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई हों.

	आंध्र प्रदेश		
८२.	आंध्र यूनिवर्सिटी	तबीब-कामिल	तबीब-कामिल
१३.	निजामिया आयुर्वेदिक कालेज हैदराबाद.	तबीब-ए-मुस्तनिद	तबीब-ए-मुस्तनिद
	असम		
१४.	बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन्स, असम.	ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडीसिन्स एण्ड सर्जरी.	जी. ए. एम. एस.
		डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	डी. ए. एम. एस.
	बिहार		
१५.	स्टेट फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडीसिन, बिहार	ग्रेजुएट इन यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	जी. यू. एम. एस.
		ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	जी. ए. एम. एस.
	दिल्ली		
१६.	बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडीसिन्स दिल्ली	बैचलर ऑफ इंडियन मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. आई. एम. एस.
		फाजिल-ए-तिब्बो-जराहत	फाजिल-ए-तिब्बो जराहत.
		भिषगाचार्य-धन्वंतरि	भिषगाचार्य-धन्वंतरि.

(१)	(२)	(३)	(४)
४३.	व्यंकटेश्वर यूनिवर्सिटी	आयुर्वेद-शिरोमणि	आयुर्वेद-शिरोमणि
		तबीब-कामिल	तबीब-कामिल
४४.	बोर्ड ऑफ इंडियन मेडीसिन, मद्रास	ग्रेजुएट ऑफ दि कालेज ऑफ इण्डीजीनस मेडीसिन.	जी. सी. आई. एम
		फैलो ऑफ इण्डीजीनस मेडीसिन	एफ. आई. एम.
		हाई प्रोफीशियेन्शी इन इंडियन मेडीसिन.	एच. पी. आई. एम.
		एसोसिएट ऑफ इंडियन मेडीसिन.	ए. आई. एम.
४५.	बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन इंडीजीनस मेडीसिन, मद्रास.	लाइसेंसिएट ऑफ इंडियन मेडीसिन	एल. आई. एम.
४६.	मद्रास आयुर्वेदिक कालेज, मद्रास	आयुर्वेद-भूषण	आयुर्वेद-भूषण
	उत्तरप्रदेश		
४७.	लखनऊ यूनिवर्सिटी	आयुर्वेदाचार्य, बैचलर ऑफ मेडीसिन एण्ड बैचलर ऑफ सर्जरी.	बी. एम. बी. एस.
		आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेदाचार्य
		बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. ए. एम. एस.
४८.	बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी	आयुर्वेदाचार्य विथ मार्डन मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	ए. एम. एस.
		आयुर्वेदाचार्य विथ बैचलर ऑफ मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	ए. बी. एम. एस.
४९.	गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी	आयुर्वेदालंकार	आयुर्वेदालंकार
		आयुर्वेदाचार्य	आयुर्वेदाचार्य
५०.	बोर्ड ऑफ इंडियन मेडीसिन, यू. पी.	बैचलर ऑफ इंडियन मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. आई. एम. एस.

(१)	(२)	(३)	(४)
		फाजिल-उल-तिब बैचलर ऑफ मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	एफ. एम. बी. एस.
		डिप्लोमा ऑफ इंडीजीनस मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	डी. आई. एम. एस.
		आयुर्वेदाचार्य, बैचलर ऑफ मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	ए. एम. बी. एस.
		आयुर्वेदालंकार	आयुर्वेदालंकार
५१.	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग	आयुर्वेद-रत्न नैद्य-विशारद	आयुर्वेद-रत्न गैद्य-विशारद
५२.	ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार.	गैद्य-शास्त्री गैद्य-विशारद	गैद्य-शास्त्री गैद्य-विशारद
५३.	ललितहरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत.	गैद्य-भूषण नैद्यराज	नैद्य-भूषण गैद्यराज
५४.	बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी	गैद्य-भूषण	गैद्य-भूषण
५५.	तकमील-उल-तिब कालेज, लखनऊ	बैचलर ऑफ इंडियन मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. आई. एम. एस.
५६.	मुबा-उ-तिब कालेज, लखनऊ	उपाधि-परीक्षा	उपाधि-परीक्षा
५७.	गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार.	आयुर्वेद-भास्कर	आयुर्वेद-भास्कर
५८.	तिब्बिया कालेज, लखनऊ	मुब्बा-उ-तिब	मुब्बा-उ-तिब
५९.	उत्तरप्रदेश बोर्ड, लखनऊ	द्विवार्षिक कोर्स	द्विवार्षिक कोर्स
६०.	गुरुकुल विद्यालय, वृन्दावन	डिप्लोमा इन आयुर्वेद	डिप्लोमा इन आयुर्वेद.
६१.	अलाहाबाद यूनानी मेडीकल कालेज	डिप्लोमा इन यूनानी मेडीसिन	डिप्लोमा इन यूनानी मेडीसिन
६२.	अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी	बेचलर ऑफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	बी. यू. एम. एस.

(१)	(२)	(३)	(४)
	पश्चिमी बंगाल		
६३.	सेन्ट्रल कौंसिल एण्ड स्टेट फैकल्टी ऑफ आयर्वेदिक मेडीसिन, पश्चिमी बंगाल.	मेम्बर ऑफ दि आयुर्वेदिक स्टेट फेकल्टी. आयुर्वेद-तीर्थ	एम. ए. एस. एफ आयुर्वेद-तीर्थ
६४.	यामिनीभूषण अष्टांग आयुर्वेदिक कालेज, कलकत्ता.	भिषगरत्न लाइसेंशिएट इन आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी.	एल. ए. एम. एस. भिषगरत्न
	पाकिस्तान		
६५.	सनातन धर्म, प्रेमगिर आयुर्वेदिक कालेज, लाहौर.	कविराज आयुर्वेदाचार्य	कविराज आयुर्वेदाचार्य
६६.	दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज़, लाहौर	वैद्यवाचस्पति वैद्यकविराज	वैद्यवाचस्पति वैद्यकविराज
६७.	तिब्बी कालेज, लाहौर	जुवा-स्तुब-हुकमा हकीम-ए-हाजिक	जुवा-स्तुब-हुकमा हकीम-ए-हाजिक

भोपाल, दिनांक १ फरवरी १९७१.

क्र. ३०९०-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री हरि पगारे, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् १९७४

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी संशोधन (अधिनियम) १९७३

दिनांक २८ फरवरी १९७४ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति मध्य-प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक १८ मार्च १९७४ को प्रथमवार प्रकाशित की गई

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम

१. यह अधिनियम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम १९७२ कहा जा सकेगा।

धारा ४ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) को (क क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाय और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित किये गये खण्ड (क क) के पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात:–

"(क) आयुर्वेद का संयुक्त संचालक,"

भोपाल, दिनांक १९ मार्च १९७४

क्र एफ-आई (बी) ५-७४ इक्कीस-अ(प्रा०) भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, (क्रमांक १४ सन् १९७४) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ० आर० सिद्दीकी, सचिव

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक २९ मार्च १९७५

भोपाल दिनांक २९ मार्च १९७५

क्र० ६१००-इक्कीस-अ (प्रा०)–मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक २६ मार्च १९७५ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ओ. आर. सिद्दीकी सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् १९७५

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी संशोधन (अधिनियम) १९७५

दिनांक २६ मार्च १९७५ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक २९ मार्च १९७५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम १९७० को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, १९७५ है — संक्षिप्त नाम

(२) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है कि धारा २८ में– — धारा २८ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में खण्ड (क) का लोप किया जाय,

(ख) उपधारा (२) में,–

(एक) शब्द दो वर्ष के स्थान पर शब्द पांच वर्ष स्थापित किये जाय

(दो) परन्तुक का लोप किया जाय,

(ग) उपधारा (३) में--

(एक) खण्ड (क) का लोप किया जाय

(दो) खण्ड (ख) में शब्द कोष्ठक अंक तथा अक्षर उपधारा (१) के यथा स्थिति खण्ड (क) या (ख) में के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर उपधारा (१) के खण्ड (ख) में स्थापित किये जाय,

(घ) उपधारा (५) में शब्द या ऐसी और कालावधि का जैसी कि उसके अधीन बढ़ाई जाय का लोप किया जाय, और (ङ) उपधारा (५) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाय अर्थात (६) कोई सूचीबद्ध व्यवसायी राज्य में आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में नियमित चिकित्सा व्यवसाय के तीस वर्ष पूर्ण कर लेने पर ४८ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज किये जाने के लिए पात्र होगा और धारा २५ के उपबन्ध ऐसे नाम दर्ज किये जाने के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

धारा ४४ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (१) के खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किये जाय, अर्थात :- (ड.) ऐसे समस्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी जो खण्ड (क) के अधीन निरसित अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम के या राजस्थान इंडियन मेडिसिन एक्ट १९५३ (क्रमांक ५ सन् १९५३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये हों और राज्य में निवास करते हों, व्यवसायियों के राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के रूप में दर्ज किये गये समझे जायगें,

धारा २ तथा ३ द्वारा किये गये संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव निरसन

४. धारा २ तथा ३ द्वारा किये गये संशोधन मूल अधिनियम के प्रारम्भ से ही उसके भाग बन गये समझे जायेंगे।

५. मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अध्यादेश, १९७५ (क्र० १ सन् १९७५) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। भोपाल दिनांक २९ मार्च १९७५

क्र० ६१०१-इक्की-स-अ (प्रा०) भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) से अनुसरण में मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम १९७५ (क्रमांक ६ सन् १९७५) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ओ० आर० सिद्दीकी, सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् १९७७

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम १९७७

(दिनांक २ जुलाई, १९७७ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ जुलाई, १९७७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई)

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम १९७० को और से संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

(१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, १९७७ है। — संक्षिप्तनाम

(२) मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा ३७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाय, अर्थात् :- — धारा ३७ के स्थान पर नयी धारा का स्थापन.

३७. भारत का कोई भी विश्वविद्यालय, बोर्ड या संस्था जो, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति या प्राकृतिक-चिकित्सा में ऐसी चिकित्सीय अर्हता प्रदान करती/करता हो जो कि अनुसूची के अन्तर्गत न आई हो, ऐसी अर्हता को मान्य करवाने के लिये राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगी/सकेगा और राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को इस प्रकार संशोधित कर सकेगी कि जिससे ऐसी अर्हता उसके (अनुसूची) के अन्तर्गत ले आई जाय और किसी ऐसी अधिसूचना द्वारा यह भी निर्देशित किया जा सकेगा कि ऐसी चिकित्सीय अर्हता उस दशा में मान्य अर्हता होगी जबकि वह विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्रदान की गई हो. — अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक २१ सितम्बर १९७८

अधिसूचना

क्रमांक ३३१७/५४०१(सत्रह्/मेडि-४, चूंकि अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय बेचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में ऐसी चिकित्सीय अर्हता (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अर्हता के नाम से निर्दिष्ट है) प्रदान करता है जो कि मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७७ (क्रमांक ५ सन् १९७१) की अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आई है।

और चूंकि, उक्त विश्वविद्यालय ने उक्त अर्हता को मान्य करवाने के लिये राज्य सरकार को आवेदन किया है,

अतएव, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ५ सन् १९७१) की धारा ३७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् (१) उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

(१) उक्त अधिनियम की सूची में भाग क में अनुक्रमांक ६ तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाय, अर्थात् :-

६ क	अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा	बेचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.ए.एम.एस.

(२) यह निर्देश देती है कि उक्त चिकित्सीय अर्हता उस दशा में मान्य अर्हता होगी जबकि यह १९७४ के पश्चात् प्रदान की गई हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
सही०
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

प्र क्र. ३३१८/५४०१/सत्रह/मेडि-४ भोपाल, दिनांक २१ सितम्बर, १९७८

प्रतिलिपि :- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र के आगामी अंश में प्रकाशनार्थ अग्रेषित। कृपया इसीकी ५० प्रतियां इस विभाग को भेजें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

२– संचालक, देशी चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म.प्र. भोपाल

३– कुल सचिव, अवधेशप्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर उनके पत्र क्रमांक प्रशा. ४३/१९७८/२५१/दिनांक १४-७-१९७८ के सन्दर्भ में।

४– रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति म.प्र. भोपाल।

सही०
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ८ सन् १९७८

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों के परीक्षा संबंधी विशेष उपबन्ध अध्यादेश, १९७८

("मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक १४ दिसम्बर, १९७८ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया)

भारत के गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया उस मान्य अर्हता के लिये, जो कि राज्य के बाहर की संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है, परीक्षा की तैयारी के अभिप्राय से राज्य में की प्राइवेट चिकित्सा संस्थाओं में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे व्यक्तियों की परीक्षा ली जाने तथा उस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड की आयुर्वेदविज्ञानाचार्य (ए.बी.एम.एस.) की उपाधि संबंधी परीक्षा संचालित करने के लिए सशक्त करने के एवं तत्संबंधी विषयों के लिये विशेष उपबन्ध करने हेतु अध्यादेश।

अतः राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है, और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें,

और अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं,

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

संक्षिप्त नाम

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों के परीक्षा संबंधी विशेष उपबन्ध अध्यादेश १९७८ है,

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है,

परिभाषायें

२. इस अध्यादेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१),

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ३ तथा ४ के अधीन स्थापित तथा गठित किया गया मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक-चिकित्सा बोर्ड,

(ग) "प्राइवेट महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राइवेट आयुर्वेदिक महाविद्यालय,

(घ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इस अध्यादेश में प्रयोग में लाई गई है, किन्तु परिभाषित नहीं की गई है, तथा अधिनियम में परिभाषित की गई है, वही अर्थ होगा जो कि उनके लिए उस अधिनियम में क्रमशः किया गया गया है,

बोर्ड ए. बी. एम. एस. के लिये परीक्षा की व्यवस्था करेगा।

३. तत्समय प्रवृत किसी विधि में या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड उन समस्त व्यक्तियों को जो, कि राज्य के बाहर की किसी ऐसी संस्था या किसी ऐसे बोर्ड द्वारा, जो कि मान्य अर्हता प्रदान करता/करती है, संचालित किसी परीक्षा की तैयारी के अभिप्राय से किसी प्राइवेट महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम का इस अध्यादेश के प्रवृत होने के अव्यवहित पूर्व अध्ययन कर रहे हों, किसी ऐसी परीक्षा में प्रवेश देगा, जो कि बोर्ड द्वारा इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जावेगी,

ए. वी. एम. एस. के लिये परीक्षा की व्यवस्था करने का बोर्ड का कर्त्तव्य,

४. (१) बोर्ड, आयुर्वेद विज्ञानाचार्य (ए.वी.एम.एस.) की उपाधि प्रदान किये जाने हेतु परीक्षा की व्यवस्था करेगा तथा इस धारा के अधीन बनाये गये विनियमों के अध्यधीन रहते हुए उन व्यक्तियों को, जिन्हें कि धारा ३ लागू होती है, उस परीक्षा में प्रवेश देगा,

(२) बोर्ड द्वारा उपधारा (१) के अधीन ली जाने वाली परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम वही होगा जो कि उस उपाधि को प्रदान किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा ४४ के अधीन ली गई परीक्षा के लिये हो.

(३) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिये, प्रथम परीक्षा शैक्षणिक सत्र १९७८–७९ के अन्त में ली जायेगी और बोर्ड ऐसी परीक्षा की व्यवस्था उस शैक्षणिक सत्र से छः वर्ष की कालावधि का अवसान होने तक करता रहेगा.

(४) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित विषयों में से किसी भी विषय के लिए विनियम बना सकेगा, अर्थात :-

(एक) वे शर्तें,जिन के कि अधीन उन व्यक्तियों को, जिन्हें कि धारा ३ लागू होती है, बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश दिया जायगा.

(दो) परीक्षकों की नियुक्त की शर्तें,

(तीन) परीक्षा फीस,

(चार) साधारणतया परीक्षाओं की बाबत उन समस्त अन्य विषयों के लिये, जो कि इस अध्यादेश को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों,

अनुसूची का संशोधन.

५. अधिनियम की अनुसूची में, क्रमांक ७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाय, अर्थात् :–

(१)	(२)	(३)	(४)
२-क	मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड,	आयुर्वेद-विज्ञानाचार्य	ए. वी. एम. एस. (नवंबर १९७८ के पश्चात्)

अनुसूची

(धारा २ का खंड (ग) देखिये)

क्रमांक	प्राइवेट महाविद्यालयों के नाम
(१)	(२)
१	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल.
२	आयुर्वेद बिज्ञान महाविद्यालय, घीघट, रीवा.
३	इन्दौर आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर.
४	श्रीराम आयुर्वेद महाविद्यालय, छतरपुर.
५	बाल्मीक आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर.
६	आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग.
७	श्री परमानन्द कोमलचन्द जैन, आयुर्वेद विद्यालय, कटनी.
७	गुना आयुर्वेद महाविद्यालय, गुना.

सी. एम. पूनाचा,
राज्यपाल, मध्यप्रदेश.

भोपाल :
तारीख १२ दिसम्बर, ११७८.

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक २४ मई १९८०

अधिसूचना

क्रमांक एफ ३-१८/७८/सत्रह/मेडि-४ चूंकि, सागर विश्वविद्यालय (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त विश्वविद्यालय के नाम से निर्दिष्ट है) यूनानी चिकित्सा पद्धति में बैचलर ऑफ यूनानी विथ माडंन मेडीसिन एण्ड सर्जरी की चिकित्सीय अर्हता (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अर्हता के नाम से निर्दिष्ट है) प्रदान करता है,

और चूंकि, उक्त चिकित्सीय अर्हता मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है।

और चूंकि, उक्त विश्वविद्यालय ने उक्त अर्हता को मान्यता दी जाने के हेतु राज्य सरकार को आवेदन किया है,

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा ३७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा,--

(१) उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, भाग क में, क्रमांक १ तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक तथा प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाय, अर्थात्, :–

१-क	सागर यूनिवर्सिटी सागर	बैचलर ऑफ यूनानी विथ माडर्न मेडीसिन एण्ड सर्जरी	बी. यू. एम. एस.

(२) यह निर्देश देती है कि उक्त चिकित्सीय अर्हता उस दशा में मान्य अर्हता होगी जबकि यह १९७४ के पश्चात् प्रदान की गई हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
सही०
(जे. एल. बोस
उप सचिव

क्रमांक एफ ३-१८/७८/सतह/मेडि-४, भोपाल, दिनांक २४ मई, १९८०

प्रतिलिपि :–

(१) नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ। कृपया मुद्रित ५० प्रतियां इस विभाग को भेजें।

(२) संचालक, देशी चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, म.प्र. भोपाल।

(३) कुल सचिव, सागर विश्वविद्यालय, सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक मान्यता/३५२९ दिनांक २०-२-७८ के संदर्भ में,

(४) रजिस्ट्रार, म.प्र. आयुर्वेद, तथा यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही०
(एन. के. गैद्य)
अवर सचिव.

सत्यप्रतिलिपि
सही०
(कैलाशनारायण शर्मा)
रजिस्ट्रार
म० प्र० आयुर्वेद तथा यूनानी एवं
प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, भोपाल.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् १९८९.

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, १९८९.

[दिनांक २० अक्टूबर १९८९ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक ४ नवम्बर १९८९ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम १९७० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, १९८९ है.

अनुसूची का संशोधन

२. मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी तथा प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) की अनुसूची में, भाग ख में, प्रविष्टि ५१ (जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की मान्य अर्हता से सम्बंधित है) का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक ४ नवम्बर १९८९

क्र० १०४८३-इक्कीस-अ (प्रा०) भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, १९८९ (क्रमांक २१, सन् १९८९) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
वि. वा. उमरेकर, संयुक्त सचिव.